

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

कृपया पेन्शन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0 8808 दिनांक 08-06-2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश के वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-17/2018/सा-3-327/दस-2018-308/2016 दिनांक 30-05-2018(छायाप्रति संलग्न), शासनादेश दिनांक 18-07-2018 (छायाप्रति संलग्न) एवं 04-09-2017 (छायाप्रति संलग्न) के क्रम में वर्ष 2016 के पूर्व के पेन्शनरों के प्रकल्पित वेतन निर्धारण संबंधी सूचना विभागों से प्राप्त कर पेन्शन निदेशालय को संकलित करने का दायित्व सौंपा गया है ।

उक्त शासनादेश दिनांक 30-05-2018 के अनुसार सूचना निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक पेन्शन निदेशालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्न निर्धारित प्रारूप में आपके जोन से संबंधित सूचना की अद्यतन स्थिति से प्रत्येक माह की 05 तारीख तक इस अनुभाग में फैक्स : 0522-2306072 / whatsapp no. 9415615204 / ई0 मेल के माध्यम से प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे ताकि शासन की अपेक्षानुसार अपेक्षित विवरण प्रत्येक माह की 10 तारीख को शासन को उपलब्ध कराया जा सके ।

उपरोक्त प्रारूप की सूचना जोनल कार्यालय स्तर पर संकलित कर प्रेषित की जानी है । अन्य कार्यालय व सम्भाग स्तर की सूचना सीधे मुख्यालय प्रेषित न की जाये ।

उपर्युक्त निर्देशो का कड़ाई से अनुपालन किया जाए ।

संलग्नकः उपर्युक्तानुसार व प्रारूप पृष्ठ भाग पर ।

(सुधा वर्मा)

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि, पृष्ठांकन, पत्र सं0 व दिनांक उक्त ।

- 1- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड एवं अपने अनुभाग से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित ।
- 2- पटल प्रभारी स्था0-5(क), 5(ग) व स्था0-3(ख), स्थापना अराजपत्रित अनुभाग, वाणिज्य कर, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने पटल से संबंधित सूचना संलग्न प्रारूप में तीन कार्यदिवस के अन्दर स्था0-6 सामान्य कम्प्यूटर पटल पर उपलब्ध कराते हुये अद्यतन स्थिति से अनुवर्ती माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

04/7/18
एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

जोन का नाम

क्र० सं०	समूह	दि० 01-01-2016 से पूर्व सेवानिवृत्त कार्मिको की सं०	पेन्शन स्वीकर्ता अधिकारी वार कार्मिको की संख्या का ब्रेक-अप ।			शासनादेश दिनांक 18-07-2017 सपठित शासनादेश दि० 04-09-2017 के अनुसार प्रकल्पित वेतन के निर्धारणोपरान्त पेन्शन स्वीकर्ता अधिकारी को प्रेषित प्रकरण ।				
			महालेखाकार 30 प्र० ।	विभागीय वित्त नियंत्रक	मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेन्शन कार्यालय (मण्डलीय इगित किया जाये ।)	निदेशक, पेन्शन	महालेखाकार 30 प्र०	विभागीय वित्त नियंत्रक	मण्डलीय निदेशक, कोषागार एवं पेन्शन मण्डलीय कार्यालय इगित किया जाये ।)	अपर निदेशक, पेन्शन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ग									

8/11/18
 (अतुल कुमार तेज)
 अपर संचिकाय अधिकारी (फाइल अराज०)
 वाणिज्य कर विभाग, राजस्थान सरकार